BY SPEED POST

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER
THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD
ROOM NO. 205, DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC, B-BLOCK, 2ND FLOOR, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI 110002.

ELECTION AGENDA NOTICE

Whereas the undersigned has been appointed as Returning Officer by the Secretary (Cooperation) Govt. of NCT of Delhi vide order F.No. AR/Bkg/CDNo.107451289/RCS/2020/821-23 dated 07/12/2020 issued by the Asst. Registrar (Banking) O/o the Registrar Cooperative Societies Delhi to hold the Election of the Board of Directors of the Kangra Co-operative Bank Ltd., C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.

Now, therefore, I, Amit Kumar Pamasi, Returning Officers, of the Kangra Co-operative Bank Ltd., hereby call SPECIAL GENERAL BODY MEETING on 13.02.2022 (Sunday) for the election of one (1) post of Chairman, one (1) post of Vice Chairman and thirteen (13) post of Directors, out of which two posts of Directors, are reserved for women candidates as per Delhi Cooperative Societies Act & Rules framed there under. The Elections of Managing Committee are being held under the provision of new D.C.S. Act 2003 AND DCS Rules 2007. The terms of the Managing Committee shall be for 3(three) years.

ELECTION PROGRAMME

S.NO	PROGRAMME	DATE	TIME	VENUE
1.	Issue of Nomination forms (Free of Cost)	29.01.2022	11:00 AM to 4:00 PM	**Room No. 205, Department For The Welfare of SC/ST/OBC, B-Block, 2nd Floor, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi 110002**
2.	Filing of Nominations	31.01.2022	11:00 AM to 4:00 PM	----do----
3.	Scrutiny of Nomination	01.02.2022	2:15 PM	----do----
4.	Display of List of valid Nominations	01.02.2022	5:00 PM	----do----
5.	Withdrawal of Nominations	02.02.2022	10:00 AM to 5:00 PM	----do----
6.	Display of final list of contesting candidates	02.02.2022	5:30 PM	----do----
7.	Polling, if necessary	13.02.2022 (Sunday)	09.00 AM to 5:00 PM	Delhi Scheduled Castes Welfare Association (Regd.), Ambedkar Bhawan, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055.

The nomination forms can be obtained free of cost from above mentioned venue from **OFFICE OF THE RETURNING OFFICER** from 11:00 AM to 4:00 PM on 29.01.2022 Nomination forms duly filled along with Rs.5000/- IN CASH AS SECURITY DEPOSIT should be handed over to the undersigned personally by the candidate or proposer or seconder on the date and time mentioned above. A person shall not be eligible to contest election for two posts simultaneously. In case member nominated for two seats, the member shall intimate his final choice to contest in one seat on the date of withdrawal, failing which his both nomination paper's shall be deemed to have been cancelled. Further, the candidate, proposer & seconder should not be defaulter. A member shall not be eligible to contest for the election if he has not completed minimum period of one year from the date of acquiring membership in the society to the date of filing of nomination. In case the candidate gets less than 1/6 of the total votes polled, the security deposit shall be forfeited.

The list of members of the aforesaid bank shall be displayed at the Office of the undersigned and at the Notice board of the Administrative Office of The Kangra Co-operative Bank Ltd. Members can obtain a copy of the list of members from the Office of the Bank at C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi on payment of prescribed fee, as per provisions of Delhi Co-operative Societies Rules, 2007.

SPECIAL NOTE

The meeting shall start on 13.02.2022 (Sunday) at 08.15 AM in the premises of the Delhi Scheduled Castes Welfare Association (Regd.), Ambedkar Bhawan, Rani Jhansi road, New Delhi-110055. The quorum of meeting will be observed for Half An Hour i.e. upto 08:45 AM and in case quorum is not complete within half an hour, the meeting shall be adjourned for 15 Minutes i.e. from 08.45 AM to 09:00 AM at the same place and after the adjourned meeting, the voting shall take place from 09:00 AM to 5:00 PM on 13.02.2022(Sunday). In the adjourned Meeting, no quorum shall be necessary in terms of Rule 48(3) of D.C.S. Rules, 2007.

COUNTING OF VOTES

The counting will start immediately after the polling is over and result will be Declared Immediately thereafter.

Dated: 03.01.2022

(Amit Kumar Pamasi)
RETURNING OFFICER

Copy forwarded to:-

1. All the Members of the Kangra Co-operative Bank Ltd. (As per the list provided by the Bank)
2. The Chairman/ CEO the Kangra Co-operative Bank Ltd.
3. Notice Board of the Returning Officer and Bank.
4. Notice Board of head office and all branches of the Bank through CEO of the Bank.
5. Asstt. Registrar (Banking), Co-operative Societies, O/o The Registrar Co-operative Societies, Govt. of NCT of Delhi, Old Court's Building, Parliament Street, New Delhi-110001

SPECIAL NOTE: It is directed that all the members and staff will follow the latest guidelines issued by DDMA and NDMA.

(Amit Kumar Pamasi)
RETURNING OFFICER

Note : As per the provision of D.C.S. Act-2003 and D.C.S. Rules 2007 the defaulter members are neither eligible to contest the election, nor entitled to cast their votes. However, in case, if they make the payment of their due amount of default before the date of filing of nomination only to the Bank & produce the proof thereof before the Returning Officer, they will not be treated as defaulter and shall be allowed to contest the election and will also be allowed to cast their votes. It is notified that the Bank has supplied a list of defaulter members which is available with the Returning Officer and displayed at the Notice Board of the Bank and Returning Officer. Members are advised to check the list of defaulters to avoid any inconvenience at the time of filing of nomination form and also at the time of polling.

All the members are requested to bring the proof of their identification by way of photo identity card/driving License/Passport or any other related documents for their identification to avoid any inconvenience in casting their votes.

स्पीड - पोस्ट

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी

दि काँगड़ा को - ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

कमरा नं 205, SC/ST/OBC कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

एजेंडा नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को माननीय मुख्य सचिव दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 2003 अनुसार संख्या AR/Bkg/CDNo.107451289/RCS/2020/821-23 दिनांक 07.12.2020 जो कि सहायक पंजीयक, कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां दिल्ली द्वारा जारी किया गया, के तहत दि काँगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, सी - 29, कम्युनिटी सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 की पूरी प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी आदेश के अनुसार, मैं, अमित कुमार पमासी, निर्वाचन अधिकारी, दि काँगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दिनांक 13.02.2022 (रविवार) को उपरोक्त बैंक की विशेष आम सभा बुलाने की घोषणा करता हूँ। यह विशेष आम सभा Delhi Scheduled Castes Welfare Association (Regd.), डॉ अम्बेडकर भवन, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली - 110055 में होगी। इसमें (1) चेयरमैन, (1) वाईस चेयरमैन और तेरह (13) निदेशक (जिनमें 2 निदेशक पद दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 2003 और जो इसके अंतर्गत नियम बने हैं के अनुसार महिला सदस्यों के लिए आरक्षित हैं) का चुनाव होगा। मैनेजिंग कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।

चुनाव कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम	तारीख	समय	स्थान
1.	नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए (निःशुल्क)	29.01.2022	11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक	कमरा नं 205, SC/ST/OBC कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002
2.	नामांकन पत्रों का दाखिल करना	31.01.2022	11:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक	-do-
3.	नामांकन पत्रों की जांच	01.02.2022	02:15 बजे से	-do-
4.	सही पाए गए नामांकन पत्रों की सूची प्रदर्शित करना	01.02.2022	05:00 बजे से	-do-
5.	नामांकन पात्र वापिस लेना	02.02.2022	10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक	-do-
6.	चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की अंतिम वैध सूची का प्रदर्शन	02.02.2022	05:30 बजे से	-do-
7.	मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो)	13.02.2022 (रविवार)	09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक	Delhi Scheduled Castes Welfare Association (Regd.), डॉ अम्बेडकर भवन, रानी झाँसी रोड, नई दिल्ली - 110055

नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय 205, SC/ST/OBC कल्याण विभाग, बी-ब्लॉक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली-110002 से 29.01.2022 को 11 बजे से सांय 4 बजे तक निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् रू० 5000/- (पांच हज़ार रुपए) नगद राशि के साथ उम्मीदवार, प्रस्तावक या समर्थक द्वारा को दिए गए समय व तिथि पर अधोहस्ताक्षरकारी के पास जमा कराए जाएंगे। कोई उम्मीदवार दो पदों के लिए एक साथ चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई सदस्य अपना / अपनी नामांकन एक से ज्यादा सीट के लिए देता है तो नाम वापस लेने की तिथि को सदस्य अपना / अपनी अंतिम पसंद की एक सीट की सूचना दे। ऐसा न किए जाने पर उसका / उसके नामांकन पत्र निरस्त माने जाएंगे। उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक डिफाल्टर नहीं होने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक बैंक में सदयस्ता प्राप्त करने की तारीख से एक वर्ष पूरा नहीं किया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर कोई उम्मीदवार कुल चुनाव में पड़े मतों का 1 / 6 भाग से कम मत प्राप्त करता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।

बैंक में सदस्यों की सूची, अधोहस्ताक्षरकारी के कार्यालय और दि काँगड़ा कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रधान कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी। इच्छुक सदस्य, सदस्यों की सूची बैंक के प्रधान कार्यालय से निश्चित फीस देकर दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 और इसके अंतर्गत जो नियम बने हैं, के अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त कर सकते हैं।

विशेष सूचना

विशेष आम सभा उपरोक्त बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव कराने के उदेश्य के लिए दिनांक 13.02.2022 (रविवार) को डा० अम्बेडकर भवन, विपरीत वीडियोकॉन टॉवर, रानी झाँसी रोड़, आराम बाग, नई दिल्ली - 55 में प्रातः 08:15 बजे प्रारंभ होगी। मीटिंग का कोरम (वांछित सदस्य संख्या) पूरा होने का समय 30 मिनट अर्थात प्रातः 08:45 बजे तक होगा। किन्तु यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो सभा प्रातः 08:45 बजे से 09:00 बजे (15 मिनट) तक के लिए स्थगित कर दी जायेगी। तदोपरांत उसी दिन प्रातः 09 : 00 बजे उसी स्थान पर मतदान प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो सांय 5 : 00 बजे तक चलेगा। दिल्ली सहकारी समितियां नियम 2007 के नियम 48 (3) के अनुसार ऐसी स्थगित सभा में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

मतों की गणना

मतदान पूरा होने के तुरंत बाद मतों की गणना की जाएगी तथा गिनती होने के बाद तुरंत परिणाम घोषित किया जायेगा।

दिनांक :-03-01-2022

(अमित कुमार पमासी)
निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. बैंक द्वारा दी गयी सूची के अनुसार प्रत्येक सदस्य को प्रतिलिपि।
2. दी काँगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड सी - 29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 के सी० ई० ओ० ।
3. सूचना पटट कार्यालय निर्वाचन अधिकारी।
4. बैंक के सी० ई० ओ० के द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय और बैंक की सभी शाखाओं के सूचना पटट के लिए।
5. रजिस्ट्रार / असिस्टेंट रजिस्ट्रार बैंकिंग कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियां, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

स्पेशल नोट: यह निर्देशित किया जाता है कि DDMA और NDMA के द्वारा जारी की गये दिशा निर्देशों का पालन सभी सदस्य और कर्मचारी पूरी तरह करेंगे।

(अमित कुमार पमासी)
निर्वाचन अधिकारी

नोट :- दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम 2003 एवं दिल्ली सहकारी समितियां नियम 2007 के अनुसार बाकीदार सदस्यों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही वे मतदान कर सकते हैं। यदि वे अपनी बकाया राशि बैंक में नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से पूर्व जमा करा देते हैं और इसका सबूत अधोहस्ताक्षरकारी के सामने प्रस्तुत करते है, तो उन्हें बाकीदार नहीं माना जायेगा और चुनाव लड़ने का और उनको मतदान का अधिकार दिया जाएगा। यह सूचित किया जाता है कि बैंक के द्वारा दी गई डिफाल्टर सदस्यों की सूची निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध है, तथा निर्वाचन अधिकारी और बैंक के मुख्य कार्यालय और सभी शाखाओं के सूचना पटट पर प्रदर्शित की गई है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि नामांकन पत्र भरने के समय एवं मतदान के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए डिफाल्टर सूची को देख लें। यह भी सूचित किया जाता है कि दिल्ली सहकारी समितियां नियम 2007 की धारा 54 के अनुसार अयोग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होगा।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे मतदान के समय किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने सदस्यता प्रमाणित करने के लिए अपने बैंक द्वारा जारी मेम्बरशिप कार्ड / फोटो पहचान पत्र/ पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य संबन्धित कागजात अपने साथ लायें।